कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 937 / 12–1 अल्मोड़ा, दिनांक, 07.09.2015.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

विषय :– मंच – बकोड़ा तक मोटर मार्ग निर्माण **(प्रस्ताव संख्या 12159 / 2015)।**

संदर्भ :– आपका ऑन–लाइन।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 25.08.2015 को कार्यदायी संस्था एंव वन विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान निम्न कमियां संज्ञान में आयी जिसके निराकरण हेतु प्रस्ताव ऑन–लाइन के माध्यम से आपको वापस की जा रही है–

1– प्रस्तावित परियोजना में प्रभावित होने वाले 0–10 सेमी0 व्यास वर्ग के वृक्षों को सूची से अलग किया जाय।

2– वृक्षों के मूल गणना सूची में वृक्षों की संख्या को सही–सही दर्शाया जाय।

3– प्रस्तावित परियोजना में प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना 7 मी0 चौड़ाई में ही की जाय तद्नुसार ही सीमाकंन कार्य करे।

4– प्रस्तावित परियोजना में विभिन्न प्रजातियों के अतिरिक्त 172 बांज के वृक्ष भी प्रभावित हो रहे है। प्रस्तावित मार्ग बांज का अविरल वन है। उक्त से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित स्थल बहुपयोगी प्रजातियों वाले वन से आच्छादित है जोकि भूमि एवं जल संरक्षण की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इन वृक्षों के पातन से न केवल स्थानीय प्राकृतिक जल स्रोतों पर कुप्रभाव होगे बल्कि प्रर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसी स्थिति में किसी अन्य वैकल्पिक संरेखण पर विचार किया जाना उचित होगा।

कृपया उक्त आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः प्रेषित करें।

भवदीय

7/9

(प्रेम कुमार)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।